



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1943 (श10)
(सं0 पटना 644) पटना, बुधवार, 28 जुलाई 2021

ifjogu foHkx

vf/k l puk

25 जुलाई 2021

I:0 05@LFkk0&01&03@2021&4245—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7059, दिनांक 14.07.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पदभार त्याग करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री बालमुकुन्द प्रसाद, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, औरंगाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री प्रसाद को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

I:0 05@LFkk0&01&03@2021&4246—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7059, दिनांक 14.07.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पदभार त्याग करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त है। जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रवीण चंदन, वरीय उप-समाहर्ता, रोहतास को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री चन्दन को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियों उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 644-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>